

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० बब्लू०/एन०पी०-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग—1, खण्ड (क) (उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 29 सितम्बर, 2022 आश्विन 7, 1944 शक सम्वत्

> उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग–1

संख्या 497 / 79-वि-1—2022-1-क-10-2022 लखनऊ, 29 सितम्बर, 2022

> अधिसूचना विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 जिससे राज्य कर अनुभाग—2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 29 सितम्बर, 2022 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2022 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022

(उत्तर प्रदेश संख्या 11 सन् 2022)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1–(1) यह अधिनियम उत्तरं प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 संक्षिप्त नाम और कहा जायेगा।

- (2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय,-
 - (क) इस अधिनियम की धारा 1, तारीख 30 मार्च, 2022 से प्रवृत्त होगी।
- (ख) इस अधिनियम के अन्य उपबंध, उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करेः

परंतु यह कि इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकती हैं।

569_RPH_vidhaika -21 Adhiniyam folder _(GST)-2022 Data-4E

धारा 16 का संशोधन 2-उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) में, धारा 16 में, -

(क) उपधारा (2) में,--

(i) खंड (ख) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:

"(खक) धारा 38 के अधीन ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संसूचित उक्त पूर्ति के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का विवरण निरवंधित नहीं किया गया है;"

- (ii) खंड (ग) में, शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 43क" निकाल दिये जायेंगे;
- ्ख) उपधारा (4) में, शब्द और अंक "सितम्बर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के दिये जाने की देय तारीख" के स्थान पर, शब्द " तीस नवम्बर" रख दिये जायेंगे।

धारा 29 का संशोधन 3-मूल अधिनियम की धारा 29 में, उपधारा (2) में,--

- (क) खंड (ख) में, शब्द "तीन क्रमवर्ती कर अवधियों तक विवरणी " के स्थान पर, शब्द "उक्त विवरणी प्रस्तुत किये जाने की देय तारीख से तीन माह से अधिक की वित्तीय वर्ष की विवरणी " रख दिये जायेंगे:
- (ख) खंड (ग) में, शब्द "लगातार छह मास की अवधि" के स्थान पर, शब्द "ऐसी निरंतर कर अवधि जैसी विहित की जाये" रख दिये जाएंगे।

धारा 34 का संशोधन धारा 37 का संशोधन 4-मूल अधिनियम की धारा 34 में, उपधारा (2) में, शब्द "सितम्बर मास " के स्थान पर, शब्द "तीस नवम्बर" रख दिये जायेंगे। 5-मूल अधिनियम की धारा 37 में,--

(क) उपधारा (1) में, -

- (i) शब्द "इलेक्ट्रॉनिक रूप में" के पश्चात्, शब्द "ऐसी शर्तों और निर्वंधनों के अध्यधीन और" बढ़ा दिये जाएंगे;
- (ii) शब्द "उक्त पूर्तियों के प्राप्तकर्ता को ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, संसूचित किये जायेंगे", के स्थान पर शब्द " उक्त पूर्तियों के प्राप्तकर्ता को ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, संसूचित किये जायेंगे" रख दिये जायेंगे:
 - (iii) प्रथम परंतुक निकाल दिया जाएगा;
- (iv) द्वितीय परंतुक में, शब्द "परंतु यह और कि" के स्थान पर, शब्द "परंतु यह कि" रख दिये जायेंगे;
- (v) तृतीय परंतुक में, शब्द "परंतु यह और भी कि" के स्थान पर, शब्द "परंतु यह और कि" रख दिये जायेंगे;
- (ख) उपधारा (2) निकाल दिया जाएगा;
- (ग) उपधारा (3) में,--
- (i) शब्द और अंक "और जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन बे-मिलान रह गये हैं" निकाल दिये जायेंगे;
- (ii) पहले परंतुक में, शब्द और अंक "सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने" के स्थान पर, शब्द "तीस नवंबर" रख दिये जायेंगे;
- (घ) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी अर्थात्:--
- "(4) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन किसी कर अविध के लिए जावक पूर्तियों का व्यौरा प्रस्तुत करने की अनुमित नहीं दी जाएगी, यदि उसके द्वारा किसी पूर्ववर्ती कर अविध के लिए जावक पूर्तियों का व्यौरा न दिया गया हो:

परंतु यह कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, उसमें यथा विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, किसी रिजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रिजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों का व्यौरा प्रस्तुत करने की अनुमित दे सकती है भले ही उसने पिछली एक या अधिक कर अवधियों के लिए जावक पूर्ति का व्यौरा न दिया हो।"

6-मूल अधिनियम की धारा 38 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात:-

धारा 38 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

"38-(1) रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत जावक पूर्तियाँ और ऐसी अन्य पूर्तियाँ, जो विहित की जायें, के ब्यौरे तथा इनपुट कर प्रत्यय के व्यौरा से अन्तर्विष्ट स्वतःजनित विवरण, ऐसी पूर्तियों के प्राप्तकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से, ऐसे प्रपत्र में और रीति से, ऐसे समय के भीतर, और ऐसी शर्तों तथा निर्वंधनों के अध्यधीन जैसा कि विहित किया जाय, उपलब्ध कराये जायेंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्वतःजनित विवरण में निम्नलिखित ब्यौरे होंगे ,-

- (क) आवक पूर्तियों का व्यौरा जिसके संबंध में इनपुट कर प्रत्यय, प्राप्तकर्ता को उपलब्ध हो सकता है; और
- (ख) पूर्तियों का व्यौरा जिनके संबंध में धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत की जा रही उक्त पूर्तियों के व्योरा के कारण, प्राप्तकर्ता द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से ऐसे प्रत्यय का उपभोग नहीं किया जा सकता है,-
 - (i) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण ग्रहण करने की यथा विहित अवधि के भीतर; या
 - (ii) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने कर संदाय में चूक की हो और जहां ऐसी चूक यथा विहित अवधि तक जारी हो; या
 - (iii) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उक्त उपधारा के अधीन प्रस्तुत जावकपूर्तियों के विवरण के अनुसार, यथा विहित अविध के दौरान, संदेय आउटपुट कर, उक्त अविध के दौरान उसके द्वारा संदत्त आउटपुट कर से, यथा विहित सीमा से अधिक हो; या
 - (iv) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, यथा विहित अविध के दौरान उस धनराशि के इनपुट कर प्रत्यय जो उसके द्वारा खंड (क) के अनुसार उपभोग किया जा सकता है, यथा विहित सीमा से अधिक क्रेडिट प्राप्त किया हो; या
 - (v) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने यथा विहित शर्तों एवं निर्बंधनों के अध्यधीन धारा 49 की उपधारा (12) के उपबंधों के अनुसार अपनी कर देयता का निर्वहन करने में चुक की हो; या
 - (vi) यथा विहित अन्य वर्ग के व्यक्तियों द्वारा।"

7-मूल अधिनियम की धारा 39 में,-

(क) उपधारा (5) में, शब्द "बीस" के स्थान पर, शब्द "तेरह" रख दिया जाएगा;

(ख) उपधारा (7) में, प्रथम परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह कि उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरंणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सरकार को यथा विहित प्रपत्र में तथा रीति से एवं समय के भीतर संदाय करेगा. -

- (क) किसी माह के दौरान माल या सेवाओं या दोनों की आवक तथा जावकपूर्तियों, उपभुक्त इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए देय कर के बराबर धनराशि; या
- (ख) खंड (क) में निर्दिष्ट धनराशि के बदले में, यथा विहित रीति से और शर्तों एवं निर्बंधनों के अध्यधीन अवधारित धनराशि:"
 - (ग) उपधारा (9) में, --
 - (i) शब्द और अंक "धारा 37 और 38 के उपबंधों के अध्यधीन यदि" के स्थान पर, शब्द "जहां" रख दिया जाएगा;
 - (ii) परंतुक में, शब्द "सितम्बर मास के लिए या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दूसरी तिमाही के लिए" के स्थान पर, शब्द " तीस नवम्बर" रख दिये जाएंगे;

धारा 39 का संशोधन (घ) उपधारा (10) में, शब्द "नहीं दी गयी है" के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द रख दिये जायेंगे, अर्थात:-

"या उसके द्वारा उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन

जावक पूर्तियों का व्यौरा नहीं दिया गया है:

परंतु यह कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, यथाविनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति या रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को विवरणी प्रस्तुत करने की अनुमित दे सकती है भले ही उसने एक या उससे अधिक पूर्व कर अवधियों की विवरणी प्रस्तुत न की हो या उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों का व्यौरा प्रस्तुत न किया हो।"

धारा 41 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना 8-मूल अधिनियम की धारा 41 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्:"41-(1) प्रत्येक रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, यथा विहित शर्तों और निर्वंधनों के अध्यधीन,
इनपुट कर प्रत्यय अपनी कर विवरणी में स्वतः निर्धारित उपयुक्त इनपुट कर प्रत्यय
की प्राप्ति का उपभोग करने का हकदार होगा, और ऐसी धनराशि उसके
इलेक्टॉनिक प्रत्यय खाते में जमा की जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्तियों के संबंध में उपभुक्त इनपुट कर प्रत्यय, जिन पर संदेय कर पूर्तिकर्ता द्वारा संदत्त न किया गया हो, उक्त व्यक्ति द्वारा यथाविहित रीति से लागू ब्याज सहित प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा:

परंतु यह कि जहां उक्त पूर्तिकर्ता पूर्वोक्त पूर्तियों के संबंध में संदेय कर का संदाय करता है वहां उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने द्वारा प्रतिवर्तित प्रत्यय की धनराशि का पुनःउपभोग यथाविहित रीति से कर सकता है"।

धारा 42, 43 और 43क का निकाला जाना धारा 47 का संशोधन 9-मूल अधिनियम की धाराएं 42, 43 और 43क निकाल दी जायेंगी।

10-मूल अधिनियम की धारा 47 में, उपधारा (1) में, -

- (क) शब्द "या अंतर्गामी" निकाल दिया जाएगा;
- (ख) शब्द और अंक "या धारा 38" निकाल दिये जाएंगे;
- (ग) शब्द और अंक "धारा 39 या धारा 45" के पश्चात्, शब्द और अंक "या धारा 52" बढ़ा दिये जाएंगे।

धारा 48 का संशोधन

धारा 49 का संशोधन 11-मूल अधिनियम की धारा 48 में,उपधारा (2) में, शब्द और अंक "धारा 38 के अधीन अंतर्गामी पूर्तियों के ब्यौरे" निकाल दिये जाएंगे।

12-मूल अधिनियम की धारा 49 में,-

- (क) उपधारा (2) में, शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 43 क" निकाल दिये जायेंगे:
- (ख) उपधारा (4) में, शब्द "ऐसी शर्तों" के पश्चात् शब्द "और निर्बंधन" बढ़ा दिये जाएंगे;
 - (ग) उपधारा (11) के, पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:-
 - "(12) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, यथाविहित शर्तों और निर्वंधनों के अध्यधीन, इस अधिनियम के अधीन आउटपुट कर देयता का यथाविहित अधिकतम अनुपात विनिर्दिष्ट कर सकती है जिसका निस्तारण, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते के माध्यम से किया जा सकता है।"

धारा 50 का संशोधन

- 13-मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी और 1 जुलाई, 2017 से रखी गयी समझी जायेगी, अर्थातु:-
- "(3) जहां इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग और उपयोग गलत तरीके से किया गया हो वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसे गलत तरीके से उपभुक्त और उपयोग कृत इनपुट कर प्रत्यय पर अनधिक चौबीस प्रतिशत दर, जैसा कि परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, से ब्याज का संदाय करना होगा, और ब्याज की गणना ऐसी रीति से की जायेगी जैसा कि विहित किया जाये।

14-मूल अधिनियम की धारा 52 में, उप-धारा (6) के परंतुक में, शब्द "सितम्बर मास का विवरण प्रस्तुत करने के लिये सम्यक तारीख" के स्थान पर, शब्द "तीस नवम्बर" रख दिये जायेंगे।

धारा 52 का संशोधन

15-मूल अधिनियम की धारा 54 में ,--

धारा 54 का संशोधन

- (क) उप-धारा (1) के परंतुक में, शब्द और अंक "धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में ऐसे प्रतिदाय" के स्थान पर, शब्द "ऐसे प्ररुप और" रख दिये जायेंगे;
- (ख) उप-धारा (2) में, शब्द "छह मास" के स्थान पर, शब्द "दो वर्ष" रख दिये जाएंगे;
- (ग) उप-धारा (10) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "उप-धारा (3) के अधीन" निकाल दिये जाएंगे;
- (घ) स्पष्टीकरण में, खंड (2) में, उपखंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात:-
- "(ख क) किसी विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकासकर्ता या किसी विशेष आर्थिक परिक्षेत्र इकाई को माल या सेवाओं या दोनों की शून्य-दर वाली पूर्ति के मामले में, जहाँ स्वयं ऐसी पूर्तियों या ऐसी पूर्तियों में प्रयुक्त यथास्थिति इनपुटों या इनपुट सेवाओं के संबंध में संदत्त कर प्रति संदाय उपलब्ध हो वहाँ ऐसी पूर्तियों के संबंध में धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत किये जाने की नियत तारीख"।

उद्देश्य एवं कारण

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017), जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, माल या सेवा या दोनों की अन्तःराज्यीय पूर्ति पर, कर का उद्गहण एवं संग्रहण करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

2--उक्त अधिनियम में विद्यमान करदाताओं के नए माल और सेवा कर व्यवस्था में सुचारु रूप से संक्रमण के लिए कितपय उपबंध किये गये हैं। तथापि नई कर व्यवस्था में कितपय किठनाइयों का सामना करना पड़ा था। लघु और मध्यम करदाताओं को हुयी बहुत सी असुविधाओं में से एक असुविधा माल और सेवा कर विधियों के अधीन विवरणी दाखिल करने और इनपुट कर प्रत्यय का दावा करने की जिटल प्रक्रिया थी। इस संबंध में प्रस्तावित परिवर्तनों में इनपुट कर प्रत्यय के दावों में निश्चितता और करदाताओं के लिए इनपुट कर प्रत्यय सत्यापन के दोतरफा संचार समाप्ति परिकिल्पित की गई है। उपर्युक्त परिवर्तनों को क्रियान्वित करने तथा अन्य किठनाइयों को भी दूर करने के उद्देश्य से उक्त अधिनियम की सुसंगत धाराओं में संशोधन करके उक्त अधिनियम को संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से, अतुल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव।

No. 497 (2)/LXXIX-V-1-2022-1-ka-10-2022

Dated Lucknow, September 29, 2022

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Maal aur Sewa Kar (Sanshodhan) Adhiniyam; 2022 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 11 of 2022) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 29, 2022. The Rajya Kar Anubhag-2 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT)

ACT, 2022

(U.P. Act No. 11 of 2022)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislatlure]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy third Year of the Republic of India as follows :-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2022.

(2) Save as otherwise provided in this Act,-

- (a) Section 1 of this Act shall come into force with effect from 30th March, 2022;
- (b) The other provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act.

Amendment of section 16

- 2. In the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 16,-
 - (a) in sub-section (2)-
 - (i) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:
 - "(ba) the details of input tax credit in respect of the said supply communicated to such registered person under section 38 has not been restricted;";
 - (ii) in clause (c), the words, figures and letter "or section 43A" shall be omitted;
 - (b) in sub-section (4), for the words and figures "due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September", the words "thirtieth day of November" shall be substituted.

3. In section 29 of the principal Act, in sub-section (2), -

- (a) in clause (b), for the words "returns for three consecutive tax periods", the words "the return for a financial year beyond three months from the due date of furnishing the said return" shall be substituted;
- (b) in clause (c), for the words "a continuous period of six months", the words "such continuous tax period as may be prescribed" shall be substituted:-

Amendment of section 34

4. In section 34 of the principal Act, in sub-section (2), for the word "September", the words "the thirtieth day of November" shall be substituted.

5. In section 37 of the principal Act,-

(a) in sub-section (1)-

- (i) after the words "shall furnish, electronically,", the words "subject to such conditions and restrictions and" shall be inserted;
- (ii) for the words "shall be communicated to the recipient of the said supplies within such time and in such manner as may be prescribed", the words "shall, subject to such conditions and restrictions, within such time and in such manner as may be prescribed, be communicated to the recipient of the said supplies" shall be substituted;
 - (iii) the first proviso shall be omitted;
- (iv) in the second proviso, for the words "Provided further that", the words "Provided that" shall be substituted;

Amendment of

section 29

Amendment of section 37

569_RPH_vidhaika -21 Adhiniyam folder (GST)-2022 Data-4E

- (v) in the third proviso, for the words "Provided also that", the words "Provided further that" shall be substituted;
 - (b) sub-section (2) shall be omitted;
 - (c) in sub-section (3),—
 - (i) the words and figures "and which have remained unmatched under section 42 or section 43" shall be omitted;
 - (ii) in the first proviso, for the words and figures "furnishing of the return under section 39 for the month of September", the words "the thirtieth day of November" shall be substituted;
 - (d) after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely:
 - "(4) A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under sub-section (1) for a tax period, if the details of outward supplies for any of the previous tax periods has not been furnished by him:

Provided that the Government may, on the commendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified there in, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the details of outward supplies under sub-section (1), even if he has not furnished the details of outward supplies for one or more previous tax periods.".

6. For section 38 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

Substitution of new section for section 38

Communication of details of inward supplies and input tax credit

"38. (1) The details of outward supplies furnished by the registered persons under sub-section (1) of section 37 and of such other supplies as may be prescribed, and an auto generated statement containing the details of input tax credit shall be made available electronically to the recipients of such supplies in such form and manner, with in such time, and subject to such conditions and

restrictions as may be prescribed.

- (2) The auto-generated statement under sub-section (1) shall consist of-
- (a) details of inward supplies in respect of which credit of input tax may be available to the recipient; and
- (b) details of supplies in respect of which such credit cannot be availed, whether wholly or partly, by the recipient, on account of the details of the said supplies being furnished under sub-section (1) of section 37,-
 - (i) by any registered person within such period of taking registration as may be prescribed; or
 - (ii) by any registered person, who has defaulted in payment of tax and where such default has continued for such period as may be prescribed; or
 - (iii) by any registered person, the output tax payable by whom in accordance with the statement of outward supplies furnished by him under the said sub-section during such period, as may be prescribed, exceeds the output tax paid by him during the said period by such limit as may be prescribed; or
 - (iv) by any registered person who, during such period as may be prescribed, has availed credit of input tax of an amount that exceeds the credit that can be availed by him in accordance with clause (a), by such limit as may be prescribed; or
 - (v) by any registered person, who has defaulted in discharging his tax liability in accordance with the provisions of sub-section (12) of section 49 subject to such conditions and restrictions as may be prescribed; or
 - (vi) by such other class of persons as may be prescribed.".

Amendment of section 39

- 7. In section 39 of the principal Act,—
- (a) in sub-section (5), for the word "twenty", the word "thirteen" shall be substituted;
- (b) in sub-section (7), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that every registered person furnishing return under the proviso to sub-section (1) shall pay to the Government, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed,—

- (a) an amount equal to the tax due taking into account inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable and such other particulars during a month; or
- (b) in lieu of the amount referred to in clause (a), an amount determined in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed.";
 - (c) in sub-section (9), —
 - (i) for the words and figures "Subject to the provisions of sections 37 and 38, if", the word "Where" shall be substituted;
 - (ii) in the proviso, *for* the words "the due date for furnishing of return for the month of September or second quarter", the words "the thirtieth day of November" shall be *substituted*;
- (d) in sub-section (10), for the words "has not been furnished by him", the following shall be substituted, namely:—

"or the details of outward supplies under sub-section (1) of section 37 for the said tax period has not been furnished by him:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified there in, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the return, even if he has not furnished the returns for one or more previous tax periods or has not furnished the details of outward supplies under sub-section (1) of section 37 for the said tax period."

Substitution of new section for section 41

- 8. For section 41 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—
 - "41. (1) Every registered person shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, be entitled to avail the credit of eligible input tax, as self-assessed, in his return and such amount shall be credited to his electronic credit ledger.
 - (2) The credit of input tax availed by a registered person under sub-section (1) in respect of such supplies of goods or services or both, the tax payable whereon has not been paid by the supplier, shall be reversed along with applicable interest, by the said person in such manner as may be prescribed:

Provided that where the said supplier makes payment of the tax payable in respect of the aforesaid supplies, the said registered person may re-avail the amount of credit reversed by him in such manner as may be prescribed.".

9. Sections 42, 43 and 43A of the principal Act shall be *omitted*.

Omission of sections 42, 43 and 43A Amendment of section 47

- 10. In section 47 of the principal Act, in sub-section (1),
 - (a) the words "or inward" shall be omitted;
 - (b) the words and figures "or section 38" shall be omitted;
- (c) after the words and figures "section 39 or section 45", the words and figures "or section 52" shall be inserted.

11. In section 48 of the principal Act, in sub-section (2), the words and figures, Amendment of "the details of inward supplies under section 38" shall be omitted.

section 48

12. In section 49 of the principal Act.—

Amendment of

- (a) in sub-section (2), the words, figures and letter "or section 43A" shall be omitted;
- section 49
- (b) in sub-section (4), after the words "subject to such conditions", the words "and restrictions" shall be inserted;
- (c) after sub-section (11), the following sub-section shall be inserted, namely:-
 - "(12) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, on the recommendations of the Council, subject to such conditions and restrictions, specify such maximum proportion of output tax liability under this Act which may be discharged through the electronic credit ledger by a registered person or a class of registered persons, as may be prescribed.".
- 13. In section 50 of the principal Act, for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:-

Amendment of section 50

- "(3) Where the input tax credit has been wrongly availed and utilised, the registered person shall pay interest on such input tax credit wrongly availed and utilised, at such rate not exceeding twenty-four per cent. as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, and the interest shall be calculated, in such manner as may be prescribed.".
- 14. In section 52 of the principal Act, in sub-section (6), in the proviso, for the words "due date for furnishing of statement for the month of September", the words "thirtieth day of November" shall be substituted.

Amendment of section 52

15. In section 54 of the principal Act, —

Amendment of

section 54

- (a) in sub-section (1), in the proviso, for the words and figures "the return furnished under section 39 in such", the words "such form and" shall be substituted;
- (b) in sub-section (2), for the words "six months", the words "two years" shall be substituted;
- (c) in sub-section (10), the words, brackets and figure "under sub-section (3)" shall be omitted;
- (d) in the Explanation, in clause (2), after sub-clause (b), the following sub-clause shall be inserted, namely:-
 - "(ba) in case of zero-rated supply of goods or services or both to a Special Economic Zone developer or a Special Economic Zone unit where a refund of tax paid is available in respect of such supplies themselves, or as the case may be, the inputs or input services used in such supplies, the due date for furnishing of return under section 39 in respect of such supplies;".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U. P. Act no. 1 of 2017), hereafter referred to the said Act, has been enacted to make a provision for levy and collection of tax on intra-state supply of goods or services or both by the State of Uttar Pradesh and the matters connected therewith or incidental thereto.

2. The said Act, provides for certain provisions for smooth transition of existing tax payers to new goods and service tax regime. However the new tax regime had faced certain difficulties. One of the many inconveniences caused to the small and medium tax payers was the complex process of filing return and claiming input tax credit under the Goods and Services Tax laws. In this regard the proposed changes envisages certainty in claims of input tax credit and end of two way communication of input tax credit verification for taxpayers. In order to implement above changes and also to overcome other difficulties, it was decided to amend the said Act by amending the relevant sections of the said Act.

The Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2022 is introduced accordingly.

By order, ATUL SRIVASTAVA, Pramukh Sachiv.